विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
(भारतीय संसद के अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित)
(Established by an Act of Parliament of India in 2009)

सं-झाकेवि/रा.प्र./रा.प्र.पु./01/2025/460 दिनांक: 13 जुलाई, 2026

परिपत्र

1. दिनांक 20 जून, 2025 के कार्यालय आदेश सं.झाकेवि/रा.प्र./रा.प्र.पु./01/2025/684 के संदर्भ में झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में हिंदी का अधिकतम उपयोग तथा संस्थान के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में **राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-26** हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
2. उक्त योजना के अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) हेतु दो भागों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
3. **राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार (2025-26) हेतु नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है:-**

क. नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	पुरस्कार	क्षेत्र		राशि
		क (हिंदी भाषी क्षेत्र)	**ख एवं ग (गैर हिंदी भाषी क्षेत्र)**	
		संख्या	**संख्या**	
1.	प्रथम	1	1	रू 5000/- (प्रत्येक)
2.	द्वितीय	2	1	रू 3000/- (प्रत्येक)
3.	तृतीय	3	2	रू 2000/-(प्रत्येक)

ख. राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार 2025-26 हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम शब्द सीमा

i. **"क" क्षेत्र** के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकगण हेतु **न्यूनतम 10,000 शब्दों** में हिंदी भाषा में नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेज

ii. **"ख एवं ग" क्षेत्र** के कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकगण हेतु **न्यूनतम 5,000 शब्दों** में हिंदी भाषा में नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेज

4. राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार (नकद पुरस्कार योजना) 2025-26 का आवेदन (हार्डकॉपी) निर्धारित प्रपत्र में राजभाषा प्रकोष्ठ में **दिनांक-31 जुलाई, 2026** तक प्रेषित करें।
5. यह आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

मधुरागी श्रीवास्तव
हिंदी अधिकारी

मधुरागी श्रीवास्तव
MADHURAGI SHRIVASTAVA
हिन्दी अधिकारी
HINDI OFFICER
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. तकनीकी कक्ष – विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकगण
6. संबंधित फाइल/सूचना पट्ट

विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
(भारतीय संसद के अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित)
(Established by an Act of Parliament of India in 2009)

'राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार' हेतु आवेदन का प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी/संकाय सदस्य का नाम :
2. पदनाम :
3. अनुभाग/विभाग :
4. वित्तीय वर्ष (01अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) : **(2025-2026)**
5. नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेजों के माध्यम से हिंदी में किए गए कार्यों की कुल शब्द संख्या................ :
6. कृपया अपने अधिवास राज्य (Domicile State) का नाम लिखें (आधार का छाया प्रति संलग्न करें।) :
7. अधिवास राज्य (Domicile State) के राजभाषा क्षेत्र का नाम :

कृपया कुल हिंदी शब्द के समर्थन में हिंदी भाषा में नोटशीट/पत्र टाइपिंग/हस्तलिखित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।

कर्मचारी / अधिकारी का हस्ताक्षर

एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री ....द्वारा किए गए हिंदी कार्यों ....कुल शब्दों की जाँच कर ली हैं और यह पूर्णतः सही हैं।

विभागाध्यक्ष/अधिकारी का हस्ताक्षर

राजभाषा क्षेत्रों के नाम :-

क क्षेत्र	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।
ख क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब,चंडीगढ़, दमन और दीव, तथा दादरा और नगर हवेली।
ग क्षेत्र	जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुदुचेरी, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्ष्यदीप।